

संख्या- 300/आ0/श0वि0-2003/पौड़ी/2003 देहरादून: दिनांक- 10 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम) 1958, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, विनियमित क्षेत्र, पौड़ी की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या- 3025/ XXXVII-III-168 -एन0केवी0/73 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 1974 का अवकमित करके विनियमित क्षेत्र पौड़ी में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शीर्षक " विनियमित क्षेत्र पौड़ी" के अधीन घोषित क्षेत्र की विवरण प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रख दी जायेंगी। अर्थात् :-

क- पौड़ी नगरपालिका परिषद सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
ख- जनपद पौड़ी के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाला क्षेत्र।

1. माण्डा लगा भेटा
2. ल्वाली लगा भेटा
3. भेटा
4. भदलारुँ
5. खडेत तल्ला
6. खडेत मल्ला
7. पावौ मल्ला
8. उंणचिर
9. चोपड़ा
10. रावत कफल्ला
11. बमण कफल्ला
12. वजली
13. सिरौली
14. गौसिल लगा खोली
15. क्याक
16. कोठार
17. मासों मल्ला
18. मासों तल्ला
19. मरवाड़ा गूँठ
20. भैठाणा
21. बैरागंता
22. सुनार ढांडरी
23. भगलानू
24. औली की माण्डा
25. खरकोटा
26. थली
27. कोलाकण्डी
28. गोदी मल्ली
29. चन्दोल राई
30. चन्दोल राई गूँठ
31. बयाल गोंव
32. रौत गांव

आज्ञा से,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या-360 /आ0 /श0वि0-2003 /पौड़ी /2003 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि वे इसे नवम्बर/दिसम्बर, 2003 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खंड में प्रकाशित करायें तथा 10 प्रतियां इस अनुभाग को एवं 5-5 प्रतियां नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या-360 /आ0 /श0वि0-2003 /पौड़ी /2003 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र पौड़ी।
2. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, पौड़ी।

आज्ञा से,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।